

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सं. 26/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1071(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक विस्तार करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी फाइल करने की अन्तिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई, 2017	8 सितम्बर
2.	अगस्त, 2017	23 सितम्बर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017

No. 26/2017—Central Tax

G.S.R. 1071(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month as specified in column (2) of the Table below, till the date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Serial Number	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-6
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	8 th September
2.	August, 2017	23 rd September

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.28 22:43:24 +05'30'